11

बालिका शिक्षा की स्थिति और विकास में समुदाय की सहभागिता का अध्ययन

राजकुमार चावड़ा*

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा हैं इस हेतु अनेक योजना बनाकर क्रियान्वित भी की गई हैं। लेकिन बालिका शिक्षा में तब तक अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता, जब तक कि परिवार और समाज में पूर्ण सहयोग न मिले। प्रस्तुत शोध उत्तरप्रदेश के ज्योतिबाफूले नगर ज़िले में बालिका शिक्षा की स्थिति और विकास में समुदाय की सहभागिता का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

बालिका किसी समाज, समुदाय तथा परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो बड़ी होकर पत्नी, माता, बहन, मित्र तथा परिवार की आय उपार्जक जैसी अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बालिकाओं की इन भूमिकाओं को निभाने में शिक्षा प्रभावी रूप से मदद कर सकती है, क्योंकि यह उनके साक्षरता कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ अंत:करण के सौंदर्य तथा पारिवारिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक है।

लेकिन दु:ख की बात है कि बालिका का जन्म लेना कभी भी सौभाग्य का सूचक नहीं समझा गया। उसके जन्म से लेकर विवाह तक कोई खुशी नहीं मनाई जाती है। उसकी मृत्यु पर भी विशेष शोक प्रकट नहीं किया जाता है। उसे प्रत्येक दृष्टि से उपेक्षित ही समझा जाता है। शिक्षा का क्षेत्र भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। उसके पढ़ने-लिखने के महत्त्व को नहीं स्वीकारा गया। उसे विद्यालय/उच्च विद्यालय में भेजने की बात तो सोची ही नहीं जाती थी।

कुछ समाजसुधारकों के प्रयासों से ही बालिका को शिक्षित करने का प्रयास उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारंभ हो पाया। ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन तथा वंचित वर्ग के परिवारों में लड़कियों की शिक्षा के बारे में केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही सोचा गया।

संविधान के अनुच्छेद-14 में यह व्यवस्था की गई, कि 6-14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी, परंतु संविधान लागू होने के 60 वर्षों के बाद भी हम यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। बालिकाओं की शिक्षा पर दुर्गाबाई देशमुख समिति की रिपोर्ट (1959) में बोधगम्य सुझाव दिए गए और एक

* कनिष्ठ अध्येता, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

नीति दस्तावेज़ बनाया गया जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने और लड़के-लड़कियों के लिए समरूप पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता को निर्देशित करता है। जो इस बात को प्रकाश में लाता है कि लड़कियों की शिक्षा को विशेष समस्या मानकर सुलझाया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस बात पर बल दिया गया कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के 6-14 वर्ष के सभी बालकों तथा बालिकाओं को अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा दी जाए। अतएव बालिका शिक्षा की विकास प्रक्रिया में भागीदार होने तथा उससे लाभ उठाने योग्य बनाने हेतु प्रयास आवश्यक है। दशोरा एवं शर्मा इस संदर्भ में उचित ही लिखते हैं कि जब स्त्रियाँ शिक्षित होती हैं, तो उनकी निर्भरता स्वत: ही समाप्त हो जाती है। कम-से-कम इससे उनका सर्वांगीण विकास निर्दिष्ट होता है, जो कि राष्ट्र की समृद्धि में सहायक होता है। (दशोरा एवं शर्मा, 2003:40)। "स्त्री के शिक्षित होने से पूरे समाज की तरक्की होती है" (उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा)। 'महिला योग शिविर' को संबोधित करते हुए इसी संदर्भ में स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि 'एक पुरुष को शिक्षा देने से एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री को शिक्षा देने से पूरा परिवार शिक्षित होता है, जिससे पूरे समाज की तरक्की होती है'-(योग संदेश 2010:56)।

शिक्षा पर सामान्य रूप से उपलब्ध अधिकांश साहित्य और आँकड़े विशेष रूप से उच्च शिक्षा में महिलाओं का यह अनुपात प्रदर्शित करते हैं कि बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रहती हैं। पारंपरिक रूप से ही भारतीय समाज में बालिकाओं के लिए औपचारिक शिक्षा को भी अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। इस संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा कराए गए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि 77.6 प्रतिशत अभिभावक अपनी लड़कियों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा के पक्ष में नहीं थे (एन.सी.ई.आर.टी. -1981: 83)। इस संदर्भ में गोरे ने भी स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएँ, शहरी क्षेत्रों के अनुपात में अधिक स्कूल छोड़ती हैं (गोरे-1982: 34)। ''बालिका शिक्षा के पिछड़ने का प्रमुख कारण माताओं में निम्न साक्षरता अथवा शिक्षा तक पहुँच का न होना पाया जाता है (एन.सी.ई.आर.टी.-1982: 223)। इसके अतिरिक्त शिक्षिकाओं का अभाव, असमृद्ध पाठ्यक्रम तथा बालिकाओं के कार्य, आवश्यकताओं व विद्यालय के समय में तालमेल का अभाव भी बालिकाओं की शिक्षा में कमी का कारण है। (एन.सी.ई.आर.टी.-1981: 81) बालिका शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक कारण है, अभिभावकों का व्यवसाय जो कि बालिकाओं के दाखिले को प्रभावित करता है।

समाज/समुदाय एवं परिवार आदि काल से चली रही संस्थाएँ हैं, जिनके द्वारा बालक-बालिका के व्यवहार और अभिवृत्तियों का निर्माण किया जाता है। पारिवारिक जीवन बालिका के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है तथा इस कार्य की ज़िम्मेदारी माता-पिता पर होती है। राणे तथा नटराजन (1982) ने अपने अध्ययन में पाया कि माता-पिता, बालक के व्यक्तित्व को दिशा

प्रदान करते हैं। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, जिसमें रहकर बालक-बालिका सामाजिक अन्त:क्रिया, व्यवहार प्रतिभागिता तथा व्यक्तित्व की संरचना का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की समस्या विशेषकर शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए ग्रामीण समुदायों में चुनौतीपूर्ण है। इसी चुनौतीपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 2010 तक उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा-1 से 8 तक) की व्यवस्था करना तथा समुदाय की सक्रिय सहभागिता के लिए उत्तर प्रदेश में बेसिक अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित अधिनियम **असाधारण गजट** 5/5/2000 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक समिति गठित है, जो ग्राम शिक्षा समिति कहलाती है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, क्षेत्रीय एवं बालक-बालिका भेद को समाप्त करके सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अभियान की सफलता का ही प्रमाण है कि आज इस योजना के अंतर्गत समस्त भारत के सभी राज्य, ज़िले, प्रखंड एवं गाँव शिक्षा से लाभांवित हो रहे है।

प्रस्तुत शोध लेख, उत्तर प्रदेश के ज्योतिबा फुले नगर ज़िले में बालिका शिक्षा की स्थिति और विकास में समुदाय की सहभागिता का अध्ययन प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या 16.80 प्रतिशत के साथ 70 ज़िले के विस्तृत क्षेत्र के इस प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 70.23 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 42.98 प्रतिशत थी। इसी प्रदेश का एक जनपद ज्योतिबा फुले नगर है जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1997 को 2470 वर्ग किमी क्षेत्रफल में हुई थी, जिसकी पुरुष साक्षरता दर 62.57 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 32.56 प्रतिशत थी। इस ज़िले के ब्लॉक हसनपुर में पुरुष साक्षरता दर 49 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 37 प्रतिशत थी, जबकि ब्लॉक गंगेश्वरी की पुरुष साक्षरता दर 41 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 29 प्रतिशत थी। यह राज्य अभी भी शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आज भी लैंगिक मुद्दा यहाँ ज्वलंत है। इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में गाँव के सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। साथ ही गाँव में इन महिलाओं में जागरूकता का भी अभाव है। जागरूक न होने की वजह से गाँव की महिलाएँ पारिवारिक हिंसा का शिकार होती हैं। वे अपनी बच्चियों/लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर देने को मजबूर होती हैं। लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं ली जाती है और बचपन में ही उनके अभिभावकों द्वारा उन पर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं। लड़कियों को घर के पशुओं की देखभाल, उनके लिए चारे की व्यवस्था, उनकी साफ़-सफ़ाई एवं गोबर उठाने के साथ ईंधन के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करना आदि कार्य करने पड़ते हैं। शेष बचे हुए समय में वे हस्तकला, सिलाई-बुनाई आदि कार्यों तक ही सीमित रह जाती हैं।

लड़कियों को स्कूल में भेजने के पीछे उनके अभिभावकों की गरीबी भी एक प्रमुख कारण है, जिससे वे उनकी शादी का भार उठाने के डर से कम उम्र में ही उनकी शादी कर देते हैं। यदि अपवाद स्वरूप लड़कियाँ पढ़ाई के प्रति आकर्षित होती भी हैं, तो उन्हें उनके अभिभावकों द्वारा लड़की होने का अहसास करा दिया जाता है। साथ ही यह बता दिया जाता है कि वह पुरुषों से कमज़ोर है और उनकी बराबरी करने का हर प्रयास बेकार है। शहरों की अपेक्षा गाँव के लोग लड़कियों की सुरक्षा के प्रति अधिक चिंतित होते हैं। इस कारण ये अभिभावक लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने-लिखाने में रुचि नहीं लेते हैं। लिहाजा गाँव की लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने बालिका साक्षरता दर में कमी के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ग्रामीण स्तर पर स्थानीय समुदाय के सहयोग एवं भागीदारी के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में बालक- बालिकाओं का नामांकन करके बालिका शिक्षा की शुरुआत की गई है, लेकिन यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या इस साक्षरता अभियान के दौरान समुदाय या ग्राम शिक्षा समिति, बालिका शिक्षा के विकास में दरअसल अपने उत्तरदायित्व निभा रही हैं या कार्य कर पा रही हैं।

शोध की आवश्यकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा बालिका शिक्षा की स्थिति सुधारने तथा विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना, ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जनशाला कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा में शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव, ड्रॉप आउट तथा उपलब्धि स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत विद्यालय सुविधाओं के साथ-साथ विद्यालय में विभिन्न भौतिक एवं वित्तीय संसाधन के अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई ताकि सभी बच्चों (6-14 वर्ष) को नामांकित कराकर गुणवत्ता के साथ नियमित शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रारंभिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन में काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्रत्येक गाँव में समुदाय की सहभागिता के लिए एक ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है, इन समितियों को विद्यालय के विकास के लिए अनेक प्रशासनिक, शैक्षिक तथा वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, जिससे सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल सके। लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी हम प्रारंभिक शिक्षा का शत-प्रतिशत लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इन प्रयासों में समुदाय की सहभागिता को जानना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है।

प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या

प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या निम्न प्रकार है-

1. **नामांकन से तात्पर्य है,** किसी विद्यालय में

निर्धारित आयु और कक्षावार कितने बच्चे विद्यालय के रजिस्टर में अंकित हैं।

2. **ठहराव से अभिप्राय है** कि विद्यालय में नामांकित बालक/बालिकाएँ वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखें और उस विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करें। उदाहरण– प्राथमिक विद्यालय में यदि 100 बालिकाएँ प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती हैं और उनमें से 70 बालिकाएँ पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण करती हैं, तो ठहराव की दर 70 प्रतिशत होगी और 30 प्रतिशत दर ड्रॉप आउट की हो जाएगी। 100 प्रतिशत ठहराव ही सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य है।

उद्देश्य

- बालिकाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव के बारे में जानकारी हासिल करना।
- समुदाय की सहभागिता एवं ग्राम शिक्षा समिति द्वारा बालिका शिक्षा के विकास के लिए किए गए प्रयासों को जानना।

अध्ययन की विधि

बालिका शिक्षा के विकास में समुदाय की सहभागिता के कार्य का ज़मीनी स्तर पर बारीकी से अध्ययन करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा दिए गए अधिकार, कार्य एवं उत्तरदायित्व संबंधी समस्त दस्तावेज़ों का विश्लेषण किया गया। ज़िले ज्योतिबा फूले नगर में संचालित कुल 1400 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें कुल अध्यापक 2075 और 1782 शिक्षामित्र वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी ज़िले के ब्लॉक हसनपुर में कुल 230 प्राथमिक/ उच्चप्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें 480 अध्यापक और 302 शिक्षामित्र कार्यरत हैं ब्लॉक गंगेश्वरी में कुल 216 प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें कुल अध्यापक 405 और 263 शिक्षामित्र कार्यरत हैं (स्रोत-डाइट कार्यालय, जे. पी. नगर, फरवरी 2009)। शोधकर्त्ता द्वारा इनमें से प्रत्येक ब्लॉक से 10 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जाकर अध्यापकों और बालिकाओं तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं से विचारविमर्श के साथ-साथ विद्यालय के रजिस्टर का अवलोकन किया गया। अभिभावकों और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से विस्तृत बातचीत की गई और प्रपत्र भी भरवाया गया। इस प्रकार यह शोध पूरी तरह गुणात्मक विधि से किया गया।

न्यादर्श

इस अध्ययन में जनसंख्या से तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी भाग जनपद ज्योतिबा फुले नगर के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक तथा उच्च प्राथामिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाएँ और ग्राम शिक्षा समिति, समुदाय, अभिभावक, अध्यापक आदि आते है, किंतु इनमें से यादृच्छिक विधि से न्यादर्श के रूप में ज़िले के दो ब्लॉक चुने गए- हसनपुर ब्लॉक और गंगेश्वरी ब्लॉक जिनमें से प्रत्येक ब्लॉक से दो संकुल और प्रत्येक संकुल से पाँच विद्यालय और उनके गाँव की ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, अभिभावक, अध्यापक और बालिकाओं का चयन किया गया। केवल

उन्हीं छात्राओं को सम्मिलित किया गया, जिनकी आयु 14 वर्ष या उससे कम थी। इस प्रकार कुल 20 विद्यालयों का दौरा किया गया।

अध्ययन के उपकरण

इस शोधकार्य में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शोधकर्त्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

- बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति स्तर जानने के लिए शिक्षक से जानकारी संकलन के लिए प्रपत्र का उपयोग किया गया।
- बालिकाओं के परिवार की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति जानने के लिए अभिभावक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं ग्राम प्रधान से बालिका शिक्षा में उनके उत्तरदायित्व, कार्य तथा उनके द्वारा किए गए प्रयास को जानने के लिए समुदाय की सहभागिता साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया।
- बालिकाओं के ठहराव एवं ड्रॉप आउट को जानने के लिए विद्यालय के रजिस्टर से जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय आदि की जानकारी प्राप्त की गई।

बालिका शिक्षा और समुदाय की सहभागिता संबंधी शोध अध्ययन का संक्षिप्त विवरण

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने, संसाधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने, शैक्षिक परिवेश का विकास करने, सीखने पर बल देने, संसाधन जुटाने, सहयोग, सहकार्य/समन्वयन की नीति को विकसित करने तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वांछित तथ्य की प्राप्ति हेतु एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना में बालिका शिक्षा और सुविधा से वंचित बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता, शिक्षा के स्तर में सुधार, समुदाय की सहभागिता तथा शैक्षिक संगठनों के सहयोग पर विशेष बल दिया गया तथा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में गठित ग्राम शिक्षा समिति हेतु निर्देशिका पुस्तक 'सहयोग' दी गई है, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का गठन, कार्य, उत्तरदायित्व तथा अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यथा बालिका शिक्षा के विकास एवं सहभागिता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रपत्र तथा प्रश्नावली से दौरे के दौरान आँकड़े एकत्र करके उनका विश्लेषण किया गया।

विद्यालय में किए गए दौरे का विवरण

बालिका शिक्षा ज्योतिबा फुले नगर ज़िले के अंतर्गत हसनपुर एवं गंगेश्वरी ब्लॉक में स्थित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में दौरे के दौरान पाया गया कि स्कूल में दो कमरे, बरामदा और एक हाल है। छात्र-छात्राओं के बैठने के लिए फ़र्श तथा दरी की सुविधा है। किसी भी विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है और विद्यालय में बालक-बालिका शौचालय है, लेकिन उनकी स्थिति दयनीय है। जल की आपूर्ति के

लिए हैंड पंप की व्यवस्था है। इन विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. एवं उत्तर प्रदेश सरकार का पाठ्यक्रम भी है। ये पाठ्यक्रम लड़कियों में क्षमता निर्माण एवं आत्मविश्वास जैसे गुणों के विकास में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन योग्य अध्यापकों के अभाव और उपस्थित अध्यापक तथा शिक्षा मित्रों की व्यस्तता और उदासीनता भी शिक्षा को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में बाधक है। अध्यापकों से बातचीत के द्वारा पता चला कि अधिकांश अध्यापकों ने बालिका शिक्षा के विकास, जैसे–नामांकन में वृद्धि, ड्रॉप आउट को कम करने तथा उनकी उपस्थिति बढ़ाने से संबंधित कोई विशेष प्रयास नहीं किया। अधिकांश नवनियुक्त अध्यापक ज़िले से बाहर के हैं, जो कि अधिकांशतः समय पर विद्यालय नहीं आते और विद्यालय का समय पूरा होने से पहले ही चले जाते हैं तथा कुछ अध्यापक तो एबीएसए तथा बीएसए को प्रतिदिन की उपस्थिति के लिए सुविधा शुल्क दे रहे हैं। यह जानकारी विद्यालय में उपस्थित अध्यापक, शिक्षामित्र तथा ग्राम शिक्षा समिति के लोगों से मिली। कुछ अध्यापक विद्यालय में बिना सूचना दिए अवकाश कर लेते हैं और कुछ अध्यापक अवकाश प्रार्थनापत्र पर बिना दिनांक और स्वीकृति के अवकाश कर लेते हैं और पत्र व्यवहार रजिस्टर पर भी कोई सूचना अंकित नहीं करते हैं। जब विद्यालय आते भी हैं, तो वे पिछले दिनों की उपस्थिति भी लगा देते हैं। विद्यालय दौरे के दौरान पाँच विद्यालयों में ऐसे अवकाश प्रार्थना पत्र मिले, जिन पर न तो दिनांक था, न प्रधानाचार्य की स्वीकृति और न ही वे प्रार्थनापत्र, पत्र व्यवहार रजिस्टर पर अंकित थे। इस प्रकार अध्यापक अपने अध्यापन कार्य से विमुख होकर केवल विद्यालय आने की औपचारिकता निभा रहे हैं। ग्राम शिक्षा समिति की सहभागिता के लिए विद्यालय स्तर पर प्रत्येक माह की 16 तारीख को बैठक निश्चित की गई है, लेकिन अधिकांश अध्यापकों का जवाब था कि बैठक में ग्राम शिक्षा समिति का कोई भी सदस्य नहीं आता। कई बार तो अध्यापक अपने रिकॉर्ड की पूर्ति के लिए ग्राम प्रधान के घर जाकर बैठक के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लाते हैं।

समुदाय के सदस्य एवं लड़कियों के अभिभावकों से बातचीत का ब्यौरा

गाँव के परिवार के वे सदस्य, जिनकी लड़कियाँ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत हैं, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। ये लोग मुख्य रूप से कृषक, मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर और पशु–पालन जैसे पेशे से जुड़े हैं। इन सभी परिवारों की मासिक आय 1000 से 5000 के बीच है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत बालिकाओं के पारिवारिक सदस्यों से वार्तालाप करने से पता चला कि अधिकतर बालिकाएँ सिर्फ़ घर के कामकाज, कृषि एवं पशु धन देखती हैं। जिन लोगों से वार्तालाप किया गया, वे सभी 30 साल से 70 साल के महिला–पुरुष थे। यहाँ के अधिकांश गाँवों में कोई भी लड़की स्नातक पास नहीं है। जिन अभिभावकों से बातचीत की गई, उनमें से अधिकतर अभिभावक

अपनी लड़कियों को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं और वे अपनी लड़कियों को भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय के शैक्षिक वातावरण तथा अध्यापकों की शिक्षण में उदासीनता के कारण अभिभावक भी हताश हैं।

ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम प्रतिनिधि से बातचीत का ब्यौरा

ज्योतिबा फूले नगर ज़िले के हसनपुर और गंगेश्वरी ब्लॉक के अंतर्गत गाँवों के दौरे के क्रम में वहाँ की ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम प्रधान से बालिका शिक्षा के संबंध में बातचीत की गई और उनसे निर्मित प्रपत्र भी भरवाया गया, जिससे पता चला कि बालिका शिक्षा के विकास के लिए ग्राम शिक्षा समिति ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए। हमने बातचीत के माध्यम से सदस्यों से जब पूछा कि जिन लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया है, उनके विद्यालय में पुन: प्रवेश के लिए आपने कोई प्रयास किया है, तो अधिकांश का जवाब 'नहीं' था। लड़कियों के विद्यालय छोड़ने के क्या कारण हैं, पूछने पर अधिकांश का जवाब घर के कार्य में व्यस्त रहना, माता-पिता की अशिक्षा और गरीबी था।

पंचायत के सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि जिन परिवारों की महिलाएँ थोड़ी भी साक्षर हैं। वे अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि रखती हैं तथा उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजती हैं, लेकिन जिन बालक-बालिकाओं के माता-पिता बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं वे अपने बच्चों की पढ़ाई में भी रुचि नहीं लेते हैं। और न ही ग्राम शिक्षा समिति ने उनकी पढ़ाई के लिए कोई विशेष प्रयास किया है। अधिकांश ग्राम शिक्षा समिति के प्रतिनिधि अपने गाँव के शैक्षिक विकास के उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन पाए गए। वे केवल विद्यालय के आर्थिक कार्य में सहभागी होते हैं।

निष्कर्ष

उपयुक्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं–

- समुदाय और ग्राम शिक्षा समिति का बालिका शिक्षा के विकास में प्रयास सराहनीय नहीं है। बालिकाओं, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ी जाति की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।
- ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयों के प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों में ज़्यादा भाग लेती है। शैक्षिक दायित्व और कार्यों में कम रुचि लेती है, जिससे बालिका शिक्षा के विकास में समुदाय की सहभागिता अच्छी स्थिति में नहीं है।
- बालिकाओं की पारिवारिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक स्थिति का भी बालिका शिक्षा पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।
- सर्वशिक्षा अभियान के दौरान बालिकाओं को दी जाने वाली उपलब्ध सुविधाओं और विद्यालय में नियुक्त एक महिला अध्यापक के कारण बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन विद्यालय में उनकी उपस्थिति बालकों से अभी भी कम ही रहती है।

- बालिकाओं की शिक्षा के प्रति शिक्षित अभिभावकों में जागरूकता आई है, लेकिन अशिक्षित अभिभावक आज भी बालिकाओं को गृहकार्यों में हाथ बँटाने के लिए घर पर ही रोक लेते हैं। अभी भी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास ज़रूरी हैं।

सुझाव

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर समुदाय/ग्राम शिक्षा समिति के कार्य और प्रयास तथा बालिका शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं–

- समुदाय के सदस्य/ग्राम शिक्षा समिति और अभिभावक मिलकर ऐसा वातावरण बनाएँ, जिससे बालिकाएँ स्वतंत्रतापूर्वक अपनी क्षमताओं के अनुसार योग्यता प्राप्त कर सकें, जो उनके चहुँमुखी विकास में सहायक होगा और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
- समुदाय को प्रयत्न करना चाहिए कि बालक-बालिका में भेद न करके दोनों के विकास में समान शैक्षिक अवसर और समय प्राप्त हो।
- समुदाय और समिति के लिए यह आवश्यक है कि वे बालक-बालिकाओं की विद्यालयी गतिविधियों की जानकारी रखें और विद्यालयों में आयोजित पाठ्येतर क्रियाकलापों में बालक और बालिकाओं को समानता से सक्रिय रूप में भाग लेने को प्रोत्साहित करें।
- समुदाय और समिति के द्वारा अपने स्तर पर गाँव के अशिक्षित माता-पिता को प्रौढ़ शिक्षा और अन्य माध्यम से शिक्षित करके उनमें सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित की जाए, जिससे वे अपनी बच्चियों को विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा दिला सकें और उन्हें विद्यालय भेज सकें।
- समुदाय को बालिका शिक्षा की जागृति के लिए जनजागृति अभियान चलाना चाहिए और स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों पर योग्य, प्रशिक्षित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा नियुक्ति में स्थानीय अध्यापकों को वरीयता दी जानी चाहिए।

''समुदाय के लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि यदि हम लड़कियों को पढ़ाएँगे तो वे अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाएँगी और आत्मनिर्भर बनकर अपनी स्थिति सँवार पाएँगी तथा परिवार की देखभाल भी बेहतर ढंग से कर सकेंगी और समाज के विकास में बेहतर भूमिका निभाएँगी।''

संदर्भ सूची -

- चौधरी, सुजीत कुमार (2005), *रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड फॉरमेशन ऑफ सोशल स्टेटस,* जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, नवंबर, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

- दशोरा, राकेश एंड अनुश्री शर्मा (2003), *रोल ऑफ ट्राइबल वीमन इन एजुकेशन,* योजना पब्लिकेशन डिवीजन, जून

- एन.सी.ई.आर.टी., (1996) *बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण* दशा एवं दिशा, हरियाणा, गुडगाँव

- *योजना मासिक पत्रिका,* सितंबर 2005, नयी दिल्ली

- गेरे.एम.एस. एंड ऐट.एल. (1970), *फील्ड स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ऑल इंडिया रिपोर्ट,* एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

- शिव दत्त त्रिवेदी *सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता के संबंध मे विकासात्मक क्रियाकलाप* राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

- महिला समाख्या, वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, उत्तर प्रदेश

- *स्त्री-पुरुष समानता,* अक्तूबर 2006, योजना मासिक पत्रिका, योजना भवन, संसद मार्ग, नयी दिल्ली

- भारत सरकार (2000), *सबके लिए शिक्षा,* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली।

- *शिक्षा की प्रगति* (2001-2004) शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

- *बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आँकड़े* (1998), बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

❑❑❑